



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक:- 282/मा0 एलन/जोनि-6/2026

दिनांक:- 21/9/2026

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुविज्ञा परासर व श्रीमती सुमेधा परासर द्वारा प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड संख्या-SK2/11, शक्तिखण्ड-2, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद पर क्षेत्रफल 368.14 वर्ग मी० भूमि पर मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के क्रम में प्रश्नगत भूखण्ड पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवासीय के अन्तर्गत व्यवसायिक क्रिया हेतु मानचित्र संख्या-GDA/BP/MS/26-27/7321 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन, 2025 के अध्याय-15 के प्रस्तर-15.1.3 (i)(iv) व (v) में उल्लेखित है कि महायोजना भू-उपयोग अथवा अनुमोदित ले-आउट में परिभाषित भू-उपयोग के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं की अनुज्ञा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव कार्यालय, मुख्य नगर नियोजक/स्वागत कक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकता है। कार्यालय में नियत अवधि (15 दिन) में प्राप्त होने वाले आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जायेगा। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

[Signature]

अपर/सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।